रजिस्ट्री सं. डी-(डी एन)--128/90

REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 3, 1990 (फाल्गुन 12, 1911)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 3, 1990 (PHALGUNA 12, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	231
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	221
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	157
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर, और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	251
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	199
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1139
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	27
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

—481 GI/89

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	231
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	221
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments promotions. Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	157
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Pye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories),	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	231
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	199
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1139
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	27
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	

* Folio not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 1990

सं. 8-प्रेज/90—राष्ट्रपति भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

(मरणोपरान्त)

श्री दस राज
सूबदार सं 650050122,
एच. ए. डी. एस. अकादमी,
मसूरी ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

22 मई, 1989 को रक्षा कार्य अध्ययन संस्थान, मसूरी, के परिसर में बड़े सबेरे वनाग्नि भड़क उठी । डिफेन्स इन्स्टिट्यूट आफ वर्क्स्टडि के निदेशक द्वारा सहायता के लिए अनुरोध किए जाने पर एच. ए. डी सी अकादमी, मसूरी, के सूबदार दस राज के नेतृत्व में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 27वीं बटालियन के कार्मिकों का एक दल, आग बुझाने और जान माल की रक्षा करने हेतु भेजा गया । काफी समय तक सूखा होने और वहां चारो तरफ चीड़ और बाज की पत्तियों के फैले रहने के कारण आग तेजी से भड़क उठी, जिससे ढलान के ऊपरी भाग में स्थित डिफेन्स इनस्टिट्यूट आफ वर्क्स्टडि तथा साथ के रक्षा और सिविलियन रिहायशी इलाके, जहां से आग शुरू हुई थी, में आग लगने का खतरा पैदा हो गया था । आग लगने के स्थान पर पहुंच कर सूबेदार देस राज ने स्थिति का जायजा लिया तथा उस स्थान की पहचान की जहां सबसे अधिक तेज आग लगी हुई थी और उन्होंने अपने दल को आग पर नियंत्रण करने के कार्य में लगाया । इस कार्यवाही में उन्होंने सामने की ओर से अपने दल का नेतृत्व किया तथा अपने दल को आग बुझाने के लिए प्रेरित किया । वह न केवल आग बुझाने के प्रति संकल्पित थे वरन् अपने दल के सदस्यों की सुरक्षा के प्रति भी चिंतित थे । जब श्री देस राज आग बुझाने के कार्य में अपने दल का नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय वे अन्य लोगों को बचाने के प्रयास में आग के काफी निकट पहुंच गए । उसी समय अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और आग तेज हो गई तथा श्री देस राज के इर्द-गिर्द आग की एक ज्वाला भड़क उठी । उन्होंने तुरन्त ढलान के ऊपर चढ़ना आरम्भ किया और साथ-साथ आग पर काबू पाने के भरसक प्रयास भी जारी रखे । इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने एक झाड़ी को सहारे के लिए पकड़ा, परन्तु दुर्भाग्यवश वह झाड़ी टूट गई और वे फिसल कर सीधे नीचे आग की ज्वाला में जा गिरे । यह देख कर उनके दल के अन्य साथी उनको बचाने हेतु शीघ्र वहां गए और उन्हें बाहर निकाल लाए ।

श्री देस राज, सूबेदार के हाथ, पांव, चेहरा, गर्दन तथा पीठ बुरी तरह जल गए । उनको तत्काल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के यूनिट अस्पताल में ले जाया गया और बाद में और उपचार हेतु उन्हें देहरादून के सैनिक अस्पताल में ले जाया गया । श्री देस राज, सूबेदार ने 20 दिन तक जिन्दगी और मौत से लड़ते रहने के पश्चात् 10 जून, 1989 को दम तोड़ दिया ।

श्री देस राज, सूबेदार, ने बल की आदर्श परम्पराओं के अनुरूप उत्कृष्ट वीरता अनुकरणीय साहस तथा कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 मई, 1989 से दिया जाएगा ।

सं. 9-प्रेज/90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री ए. सी. सीता राम,
कमांडेंट
24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
जिला-अमृतसर ।

श्री गुरदेव सिंह,
निरीक्षक सं. 600452076,
24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
जिला-अमृतसर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8 नवम्बर, 1987 को जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 24वीं बटालियन के कमांडेंट श्री ए. सी. सीता राम, निरीक्षक, गुरदेव सिंह के साथ रामतीर्थ मंदिर, जहां लगभग 20,000 भक्तगण वार्षिक मेले के दौरान पूजा के लिए एकत्रित हुए थे, की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा । पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसको आतंकवादियों के एक दल ने मंदिर क्षेत्र में भक्तगणों की बड़ी मात्रा में हत्या करने की योजना बनाने के उद्देश्य से वहां भेजा था । उसने यह भी बताया कि आतंकवादी मंदिर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर चानिया के गांव के एक फार्म हाउस में छुपे हुए हैं ।

श्री ए. सी. सीता राम, कमाण्डेंट ने समय गवाए बिना सूचित किए गए छिपने के स्थान पर छापा मारने का निर्णय लिया। उन्होंने निरीक्षक गुरदेव सिंह को रामतीर्थ चौकी की एक टुकड़ी को लेकर छापा मार दल के साथ आने का भी आदेश दिया। जब दल फार्म हाउस से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था तो दल को दो दलों में, अर्थात् घेरा डालने वाला दल तथा छापा मारने वाले दल, में विभाजित कर दिया गया। श्री सीता राम और श्री गुरदेव सिंह छापा मारने वाले दल में थे। घेरा डालने वाले दल को अत्यंत चौकसी के साथ मोर्चा संभालने का आदेश दिया। छापा मार दल ने घर के सामने की ओर से घेर लिया। जैसे ही छापा मार दल घर के करीब पहुंचा तो कुत्तों के भौंकने की जोर का आवाज से उनकी सतर्कता समाप्त हो गयी। आतंकवादियों को सम्भवतः फार्म हाउस के पीछे पुलिस बल की गतिविधियों का आभास हो गया तथा पुलिस दल का ध्यान दूसरी ओर बांटने के उद्देश्य से उन्होंने अपने आश्रयदाता गुरबचन सिंह को सामने की ओर "बचाओ-बचाओ" चिल्लाते हुए भागने पर मजबूर किया। श्री सीता राम तुरन्त उस पर झपटे और उसे दबोच लिया। छापामार दल के ऊपर आतंकवादियों ने अचानक भीषण गोलाबारी आरम्भ कर दी। श्री सीता राम ने यह महसूस किया कि किसी प्रकार की आड़ के अभाव में उनके दल को आतंकवादियों की गोलियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी निजी सुरक्षा की चिंता किए बिना श्री सीता राम ने एक साहसिक निर्णय लिया। वे अपनी बायीं ओर रेंगते हुए गए तथा शीघ्रता से मिट्टी की दीवार पर चढ़ कर गोलियां चलानी आरम्भ कर दीं। इससे आतंकवादी भौचक्के हो गए और उन्होंने स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाते हुए घर की ओर भाग खड़े हुए। श्री सीता राम ने उनमें से एक आतंकवादी को अपनी स्टेन कार-बाईन से गोलियां चलाते हुए व्यस्त रखा और उसे घटना स्थल पर ही मार डाला। इससे छापा मार दल आगे बढ़ा और घर की दीवार के चारों ओर मोर्चा ले सका।

आतंकवादियों को बाहर निकालने की दृष्टि से श्री सीता राम, ने अपने दल के एक साथी सहित पुनः रेंगते हुए खिड़की की तरफ गए और आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए मजबूर करने के लिए गोलियां चलायीं। इस प्रक्रिया में एक आतंकवादी बुरी तरह घायल हो गया और असमर्थ हो गया। निरीक्षक गुरदेव सिंह, जो कि छापा मार दल के दाहिनी ओर थे, ने एक साहसिक निर्णय लिया और भीषण गोलाबारी के बीच एक नायक सहित घर की दाहिनी दीवार की ओर भागे। दीवार के पीछे मोर्चा संभालने के बाद इन दोनों ने प्रभावकारी ढंग से आतंकवादियों को व्यस्त रखते हुए उनको फार्म हाउस के एक कमरे में वापस जाने पर मजबूर किया। निरीक्षक गुरदेव सिंह और नायक ने तीसरे आतंकवादी का जो कुछ सिर नजर आता था, पीछा किया और उसे उस समय मार डाला जब वह दीवार लांघ कर भाग निकलने की चेष्टा कर रहा था। मृत आतंकवादी की बाद में रेशम सिंह उर्फ डी सी तथा सुरेन्द्र सिंह सोढ़ी के रूप में शिनाख्त हुई जिसकी कई हत्याओं के मामले में तलाश थी। दो और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया जिनकी बाद में हरभजन सिंह और गुरबचन सिंह के रूप में पहचान की गई।

इस मुठभेड़ में श्री ए. सी. सीता राम, कमाण्डेंट, और श्री गुरदेव सिंह, निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च-कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 नवम्बर, 1987 से दिया जाएगा।

सं. 10-प्रज/90—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री लक्ष्मीनारायण,
उप-निरीक्षक नं डी/1564,
(अब पुलिस निरीक्षक),
दिल्ली पुलिस,
दिल्ली।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

यह सूचना मिली थी कि कुछ खूंखार-आतंकवादियों का एक गिरोह राजधानी में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने और कुछ बैंकों को लूटने की एक योजना बना रहा है। यह भी मालूम हुआ कि आतंकवादी शस्त्र और गोलाबारूद लेकर मारुती गाड़ी द्वारा दिल्ली में घुसने की योजना बना रहे हैं। जिस गाड़ी में आतंकवादी यात्रा कर रहे थे उसे दिल्ली पुलिस के संचालन कक्ष के अधिकारियों के एक दल ने सिंघू सीमा पर रोक लिया और गाड़ी में यात्रा कर रहे 5 व्यक्तियों से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ करने पर उनमें से करमजीत सिंह नामक आतंकवादी को एक खूंखार आतंकवादी पाया गया तथा अन्य नये-नये आतंकवादी थे। करमजीत सिंह ने बताया कि उसके दो सहापराधियों ने जालंधर जिले के जगतपुर गांव में एक नलकूप पर शरण ले रखी है।

5 अक्तूबर, 1988 को पुलिस संचालन कक्ष के एक दल को पंजाब भेजा गया, जिसमें 3 निरीक्षक, 1 हेडकांस्टेबल, 1 कांस्टेबल, ड्राइवर तथा श्री लक्ष्मीनारायण, पुलिस उप-निरीक्षक शामिल थे। जगतपुर गांव पहुंचने पर उन्हें पता चला कि आतंकवादी उस दिन प्रातः वहां से किसी अज्ञात स्थान को चले गए। आतंकवादियों के छिपने के संभाव्य स्थानों को छानबीन करते हुए वे 5 अक्तूबर 1988 को सवेरे लगभग 10.30 बजे पड्डी जागीर गांव में मगर सिंह के नलकूप पहुंचे। दल के चार अधिकारियों ने नलकूप को चारों ओर से घेर लिया और करमजीत सिंह को संक्षेप में सब कुछ समझा कर, आतंकवादियों को बातचीत में व्यस्त रखने के लिए भेजा गया। यह दल चुपचाप तथा रेंगते हुए नलकूप की ओर बढ़ा। तथापि, उनमें से एक आतंकवादी को करमजीत सिंह की गतिविधियों के बारे में संदेह हुआ और चारों ओर देखने के बाद उसने पुलिस अधिकारियों पर गोली चलानी शुरू कर दी, जो नलकूप के काफी नजदीक आ गए थे। पुलिस दल ने भी जवाब में गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादी का घुटना तथा सिर जख्मी हो गए। उप-निरीक्षक, लक्ष्मीनारायण ने, गोली चलाते हुए आतंकवादी को पीछे से पकड़ने का साहस किया और उसे धर-दबोचा। उसके बाद गोलियों की आवाज सुनने पर आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वालों की वहां भीड़ जमा हो गई और आतंकवादियों का एक साथी वहां से भाग निकलने में सफल हो गया। गिरफ्तार किए गए आतंकवादी की बाद में केवल सिंह उर्फ बिल्ला के रूप में शिनाख्त की गई, जो अनेक सनसनीखेज मामलों में अंतग्रस्त था।

इस मुठभेड़ में श्री लक्ष्मीनारायण, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 से दिया जाएगा ।

सं. 11-प्रेज/90—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम बाबू,
कान्स्टेबल सं. 192,
जिला जहानाबाद, ,
बिहार ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

12 मई, 1988 को लगभग 8.10 बजे प्रातः बस डिपो के नजदीक कुछ अपराधियों द्वारा चलायी गयी गोलियों की आवाज सुनने पर, जहानाबाद के विकास उप-आयुक्त श्री विजय प्रकाश उपलब्ध सशस्त्र बल को एकत्र करने के लिए तत्काल अपने निवास-स्थान की ओर दौड़े । इसी बीच, श्री राम बाबू कान्स्टेबल, जो विकास उप-आयुक्त के साथ प्रतिनियुक्त थे, सशस्त्र बल के पहुंचने की इन्तजार किए बिना, बस डिपो के उस तरफ भाग जहां से गोलियों की आवाज आ रही थी । कान्स्टेबल के पास सर्विस रिवाल्वर थी । घटना स्थल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग आतंकित होकर इधर-उधर भाग रहे थे । उन्होंने कुछ अपराधियों को भी भागते हुए देखा । कान्स्टेबल ने बिना समय गवाए, भाग रहे अपराधियों का पीछा करना शुरू कर दिया । एक बार जब अपराधी कान्स्टेबल के आमने-सामने हुए, तो उसने देशी निर्मित पिस्तौल से कान्स्टेबल के सिर को निशाना बनाकर एक गोली चलायी । कान्स्टेबल झुक गए और गोली उन के सिर के ऊपर से निकल गयी । इस समय कान्स्टेबल ने अपराधियों को आत्मसमर्पण करने को लिए कहा । कान्स्टेबल की निर्भीकता को देखकर अपराधी आतंकित हो गए । उनमें से एक ने अपना थैला नीचे फेंक दिया और अपने हाथ खड़े करके आत्म-समर्पण कर दिया। लेकिन दूसरे अपराधी ने, जिसने कान्स्टेबल पर गोली चलायी थी, ऐसा नहीं किया और वह अपनी पिस्तौल में गोलियां भरने की कोशिश करने लगा । लेकिन इससे पहले कि वह अपनी पिस्तौल भरे, कान्स्टेबल उस पर झपट पड़े और उसे निशस्त्र कर दिया । इसी बीच विकास उप-आयुक्त सशस्त्र बल के साथ वहां पर पहुंच गए और दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया। खोजबीन करने पर उनके कब्जे से दो देशी पिस्तौल, 6 कारतूस और उग्रवादी संगठन से संबंधित कागजात बरामद किए गए । गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की शिनाख्त उमेश यादव के रूप में की गयी । यह भी पता चला कि उसी दिन बैरागी बाग के रामेश्वर मंडल नामक व्यक्ति की हत्या करके उग्रवादी भाग रहे थे ।

इस मुठभेड़ में, श्री राम बाबू, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया । यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 मई 1988 से दिया जाएगा ।

सं. 12-प्रेज/90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री मल्कीयत राम,
निरीक्षक सं. 570060201,
26वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

(मरणोपरान्त)

श्री ए. के. चक्रवर्ती,
नायक/ड्राईवर सं. 680461271,
26वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री एस. एम. तांगडे,
कान्स्टेबल सं. 760260183,
26वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

18 अगस्त, 1987 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 26 बटालियन के 11 कार्मिकों के एक दल को इन्स्पेक्टर मल्कीयत राम के नेतृत्व में, एक जीप और एक 3 टन वाहन के साथ जिला अमृतसर के धारीवाल, परागपुरा और मनिकपुरा संवेदनशील गांवों में गश्ती ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था । इस क्षेत्र को खालिस्तान लिबरेशन फोर्स नामक आतंकवादी ग्रुप का गढ़ समझा जाता है । पार्टी लगभग 19.00 बजे जिला अमृतसर के कच्चा पक्का स्थित कम्पनी मुख्यालय से रवाना हुई । इन्स्पेक्टर मल्कीयत राम और कान्स्टेबल एस. एम. तांगडे जीप में थे, जिसे नायक/ड्राईवर ए. के. चक्रवर्ती चला रहे थे ।

जब जीप, जिसके पीछे-पीछे 3 टन वाहन चल रहा था, मानिकपुरा गांव पहुंची और वहां एक तीव्र मोड़ से गुजर रही थी तो सड़क से लगती हुई एक मिट्टी की दीवार के पीछे से इस पर आतंकवादियों ने बायीं ओर से घात लगाकर आक्रमण किया। आतंकवादियों ने, जो लगभग 10 थे, जीप पर भारी गोलाबारी की । गोलियां आगे की एक हेड-लाईट और दायीं तरफ के दोनों टायरों पर लगी ।

जैसे ही आतंकवादियों ने गोलियां चलानी आरम्भ की, ड्राईवर ए. के. चक्रवर्ती बहादुरी के साथ वाहन को उग्रवादियों की गोलाबारी की पहुंच से तत्काल बाहर निकाल लाए । ऐसा करते हुए उन्हें एक घातक गोली लगी और उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पर ही दम तोड़ दिया । लेकिन इस समय तक वे वाहन को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सफल हो चुके थे ।

पुलिस दल ने जीप से बाहर कूद कर तत्काल मोर्चा संभाला और गोली का जवाब गोली से दिया । गोलाबारी के दौरान कान्स्टेबल एस. एम. तांगडे के कन्धे पर गोली लगी । जख्मी होने के बावजूद वे भारी गोलीबारी में रेंगते हुए अनुकूल स्थान पर पहुंच गए और वहां से उन्होंने अपनी एस. एल. आर. से उग्रवादियों पर गोलियां चलायी और इस प्रकार से उन्हें पार्टी के अन्य सदस्यों से दूर रखा । कान्स्टेबल तांगडे ने असाधारण

साहस का परिचय दिया और गोलाबारी बंद होने तक अपनी स्थिति बनाए रखी ।

निरीक्षक मल्कीयत राम ने वाहन से उतरने के बाद नजदीक की एक मिट्टी की दीवार के पीछे मोर्चा संभाला । उग्रवादी, दल के सदस्यों को मारने और अस्त्र व शस्त्र अपने साथ ले जाने के उद्देश्य से, गश्ती दल पर गोलियां चलाते रहे । लेकिन श्री मल्कीयत राम ने अपनी पिस्तोल से गोलियां चलाते हुए उन्हें व्यस्त रख कर उनके इस प्रयास को विफल कर दिया । गोला बारूद समाप्त होने के बाद उन्होंने पुनः संगठित होने तथा आतंकवादियों पर आक्रमण करने के लिए पार्टी के अन्य सदस्यों की तरफ गए । इस प्रक्रिया में उनके पुट्ठे पर एक गोली लगी । जख्मी होने की परवाह किए बिना उन्होंने उग्रवादियों पर भारी गोलाबारी करने का निदेश देकर उन्हें चुप कर दिया और अपने दल के लोगों को जख्मी होने से बचाया और उग्रवादियों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया । उग्रवादी गांव की गलियों से भाग निकले ।

इस मुठभेड़ में श्री मल्कीयत राम, निरीक्षक, श्री ए. के. चक्रवर्ती, नायक/ड्राईवर और श्री एस. एस. तांगड़, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणा का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 अगस्त, 1987 से दिया जाएगा ।

सं. 13-प्रेज/90—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गुरदियाल सिंह,
कान्स्टेबल सं. 3088/ए.एस.आर. (3124/टीटी),
थाना पट्टी,
जिला अमृतसर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

17 अप्रैल, 1988 की रात को 5 कान्स्टेबलों (कान्स्टेबल गुरदियाल सिंह सहित) के साथ पुलिस उप अधीक्षक, पट्टी के नेतृत्व में एक पुलिस दल जीप में वलतोहा थाने के क्षेत्र में गश्त लगा रहा था । पट्टी पुलिस थाने का थानेदार तथा एक हेड कान्स्टेबल और 4 कान्स्टेबल दूसरी जीप में थे । लगभग 9.30 बजे रात पुलिस दल पर बरनाला गांव के नजदीक उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया । जीप के कान्स्टेबल चालक गुरदयाल सिंह पर उग्रवादियों ने गोली चलाई, जिससे उनकी दोनों टांगें गम्भीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जीप चलानी जारी रखी तथा पुलिस दल को उग्रवादियों की गोली की पहुंच से बाहर निकाल लाए । पुलिस उप-अधीक्षक ने पुलिस कार्मिकों को जवाब में तुरन्त गोली चलाने का आदेश दिया । पुलिस दल द्वारा की गई कारगर गोली बारी के कारण उग्रवादी अंधेरे और वहां के पेड़ों तथा क्षेत्र की स्थिति का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए । इस बीच कान्स्टेबल गुरदियाल सिंह ने थाना पट्टी तथा थाना वलतोहा को कुमुक भेजने के लिए वायरलेस संदेश भेजा । दोनों थानों से 45 मिनट के अन्दर कुमुक वहां पहुंच गई ।

इस घटना में श्री गुरदियाल सिंह, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 अप्रैल, 1988 से दिया जाएगा ।

सं. 14-प्रेज/90—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री दिलबाग सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक (सं. 118/जी.एस.पी.)
सी.आई.ए. स्टाफ,
कपूरथला,
पंजाब ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

गांव रक्षावा मसनूदन, थाना सदर, जलन्धर के मोहन सिंह के मकान में कुछ आतंकवादियों की छिपने की संभावना के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, बचन सिंह, निरीक्षक के नेतृत्व वाली एक पुलिस पार्टी को, जिसमें उप-निरीक्षक दिलबाग सिंह भी थे, 3 नवम्बर, 1988 की प्रातः सोहन सिंह के घर पर छापा मारने के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया था । पुलिस दल को दो ग्रुपों में विभाजित किया गया, एक दल बचन सिंह निरीक्षक के नेतृत्व में और दूसरा दल सहायक निरीक्षक, दिलबाग के नेतृत्व में । श्री दिलबाग सिंह ने उस मकान की छत में मोर्चा संभाला, जो श्री सोहन सिंह के उस मकान के सामने था जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे । बचन सिंह, निरीक्षक ने आतंकवादियों को आत्म-समर्पण करने के लिए ललकारा, लेकिन आतंकवादियों ने मकान के अन्दर से गोलियां चलानी शुरू कर दी । श्री दिलबाग सिंह, उप-निरीक्षक ने, जो छत के ऊपर थे, और आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे थे, जवाब में गोलियां चलाईं । आतंकवादियों ने भी श्री दिलबाग सिंह पर गोलियां चलायी जिसके परिणाम-स्वरूप उनकी दाहिनी भुजा गोली लगने से जख्मी हो गयी । पुलिस दल और आतंकवादियों के बीच डेढ़ घंटे तक गोलियां चलती रहीं । जख्मी होने के बावजूद सहायक निरीक्षक आतंकवादियों पर एस.एल.आर. से गोलियां चलाते रहे जब गोलाबारी बन्द हुई तो पुलिस दल ने घर के भीतर प्रवेश किया और वहां दो व्यक्तियों को मरा हुआ पाया । मकान मालिक ने उनकी शिनाख्त होशियारपुर के अमरजीत उर्फ जीता और अमृतसर के भगवान सिंह उर्फ चाचा के रूप में की । ये दोनों अनेक जघन्य अपराधों में फंसे हुए थे । जांच-पड़ताल करने पर यह पाया गया कि आतंकवादी भगवान सिंह ने साईनाईड कैपसूल खाकर आत्महत्या की, जबकि दूसरे आतंकवादी अमरजीत सिंह की गोली लगने से जख्मी हो कर मृत्यु हुई । घटनास्थल से एक .45 माउजर और 14 चली गोलियां के खोल बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री दिलबाग सिंह पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 नवम्बर, 1988 से दिया जाएगा ।

सं. 15-प्रेज/90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

(मरणोपरान्त)

श्री हिंगोले किशन गंगाराम
कान्स्टेबल सं. 850770144,
29वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

24 जुलाई, 1988 को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ सशस्त्र आतंकवादी तरन तारन जिले में पालोपुरा के गुरमुख सिंह नामक व्यक्ति के फार्म हाउस में इकट्ठे हैं और उनके द्वारा आतंकवादी कार्य किए जाने की सम्भावना है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 29वीं बटालियन के कमान्डेन्ट के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक दल (कान्स्टेबल हिंगोले किशन गंगाराम सहित) आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तत्काल ग्राम पालोपुरा की ओर चल पड़ा ।

जब पुलिस दल गुरमुख सिंह के फार्म हाउस के समीप पहुंचा तो उग्रवादियों ने छापामार दल पर गोलियां चलानी प्रारम्भ कर दी। छापामार दल ने आत्मरक्षा में तत्काल गोलियों का जवाब गोलियों से दिया । बंदूक लिए हुए 5 सिख युवक फार्म हाउस से बाहर आए और उन्होंने भागना शुरू किया और छापामार दल ने उनका पीछा किया । लगभग 400–500 गज तक दौड़ने के बाद, उग्रवादियों ने नहर के पीछे मोर्चा सम्भाला । जब छापामार दल लगभग 200 गज की दूरी पर था तो आतंकवादियों ने भारी गोलाबारी की । कमान्डेन्ट ने अपने दल के साथ मोर्चा सम्भाला और गोली के जवाब में गोली चलाई । जब दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही थी तो कान्स्टेबल गंगाराम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, बेहतर मोर्चा सम्भालने के लिए, गोलियों के बीच से लगभग 40-50 गज तक रेंगते हुए गए और उन्होंने अपनी एस.एल.आर. से आतंकवादियों पर 14 राउन्ड गोलियां चलायीं । इस गोलाबारी के परिणामस्वरूप एक आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया, जिसकी शिनाख्त बाद में भोला डेरेवाल के सतनाम सिंह उर्फ सत्ता के रूप में की गयी । गोलाबारी के दौरान कान्स्टेबल गंगाराम को एक गोली लगी थी, जिन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गयी ।

बचे चार आतंकवादियों ने गांव गुजरपुरा की तरफ भागना शुरू कर दिया । छापामार दल ने गांव गुजरपुरा तक 5-6 किलोमीटर की दूरी तक उनका पीछा किया । पीछा करते हुए दोनों ओर से बीच-बीच में गोलाबारी होती रही । चारों उग्रवादी, गांव गुजरपुरा के नजदीक नदी में कूद पड़े । उनमें से दो को, हथियारों सहित, डूबते हुए देखा गया । बाद में 15 अगस्त, 1988 को उनके शव पाए गए । दोनों की शिनाख्त गांव लोला के बिल्ला और गांव मुन्डापिंड के अमरजीत सिंह उर्फ अम्बा के रूप में की गयी ।

इस मुठभेड़ में श्री हिंगोले किशन गंगाराम, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 जुलाई, 1988 से दिया जाएगा ।

राजीव महर्षि
राष्ट्रपति का उप सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1989

संकल्प

सं० 55011/11/89-पी० आर० डी०—इस विभाग के 21 फरवरी, 1977 के संकल्प सं० 55027/1/77-सी० पी० सी० के अधीन कोयला विभाग में संयुक्त सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में 'खनन इंजीनियरिंग शिक्षा एवं प्रशिक्षण' पर गठित एक स्थायी निकाय में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्थाओं को इन दो श्रेणियों में से प्रत्येक प्रतिनिधियों की सदस्यता को दो से तीन तक बढ़ा दी जाए और उक्त बोर्ड के इन प्रतिनिधियों की एक वर्ष की अवधि को दो वर्ष की अवधि तक बढ़ा दिया जाय । तदनुसार दिनांक 21-2-1977 के उपर्युक्त संकल्प में खनन इंजीनियरिंग शिक्षा और प्रशिक्षण के संयुक्त बोर्ड के सदस्यों की सूची में क्रम संख्या 6 से 9 के सामने की गई प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाए :—

"6 से 8 : ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान जो कि डिग्री स्तर पर खनन इंजीनियरिंग शिक्षा में पाठ्यक्रम चला रहे हों उनके तीन प्रतिनिधि ।	(दो वर्ष की अवधि के बाद आवर्तन द्वारा)
"9 से 11 : ऐसे संस्थान जो डिप्लोमा स्तर पर खनन इंजीनियरिंग शिक्षा में पाठ्यक्रम चला रहे हों उनके तीन प्रतिनिधि ।	

शेष प्रविष्टियों की क्रम सं० में तदनुसार परिवर्तन किया जाए ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबद्ध को प्रेषित की जाए जिनमें भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय आदि, भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक शामिल है । यह भी आदेश दिया जाता है कि सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ओ० पी० गल्हा, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th February 1990

No. 8-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Indo-Tibetan Border Police :—

Name and rank of the officer

Shri Des Raj, (Posthumous)
Subedar No. 650050122,
HADS Academy,
Mussoorie.

Statement of Services for which the decoration has been awarded.

One the early morning of 22nd May, 1989, a jungle fire broke out in the vicinity of Defence Institute of Workstudy, Mussoorie. On a request from the Director, Defence Institute of Workstudy, for help, a team of 27 Battalion, Indo-Tibetan Border Police personnel under the command of Subedar Des Raj, of HADS Academy, Mussoorie was sent to extinguish the fire and save the property and lives from damage. Due to a long dry spell, the carpet of parched 'Chir' and 'Banj' leaves provided enough fodder for the sweltering fire, which threatened to engulf the Defence Institute of Workstudy and adjoining defence as well as civilian residential areas situated on the upper part of the slopes on which the fire had started. On reaching the site of fire, Subedar Des Raj took stock of the situation and identified the spot where the intensity of the fire was severest and engaged his team to bring the fire under control. In the operation, he led his team from the front and motivated them to do their best. He was not only resolved to bring the fire under control but also worried about the safety of his team While directing the fire extinguishing operation and leading his team. Shri Des Raj, Subedar got extremely close to the fire in an attempt to save others Suddenly, a gust of wind intensified the fire and a big ball of fire cropped up in close proximity of the officer. He immediately started moving up the slope, simultaneously making every effort to quell the fire. In the process, he grasped a bush to get support but, unfortunately, it gave way and he slipped straight into the ball of fire. On seeing this, other members of his team rushed to his rescue and took him out of the fire

Shri Des Raj, Subedar, suffered severe burn injuries involving both upper and lower limbs, face, neck as well as back. He was rushed to the Indo-Tibetan Border Police Unit Hospital and later shifted to Military Hospital, Dehradun for further treatment. Shri Des Raj, Subedar, after struggling for survival for 20 days, expired on 10th June 1989.

Shri Des Raj, Subedar, displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, and devotion to duty in the highest tradition of the force.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd May, 1989.

No 9-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the Officers

Shri A. C Seetharam,
Commandant,
24Battalion, Central Reserve Police Force,
District Amritsar.

Shri Gurdev Singh,
Inspector No. 600452076,
24 Battalion, Central Reserve Police Force,
District Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 8th November, 1987 while Shri A. C. Seetharam, Commandant, alongwith Inspector Gurdev Singh of 24 Battalion, Central Reserve Police Force, was supervising security arrangements around Ramtirath Temple, where about 20,000 devotees had gathered during the annual Mela worship, a suspicious looking person was picked up. On interrogation, he confessed that he was sent by a group of terrorists to reconnoitre the temple area for planning a mass killing of devotees. He also told that the terrorists were hiding in one of the farm houses of Waniake village, at a distance of about 16 Kilometres from the temple.

Without any loss of time, Shri A C. Seetharam, Commandant, decided to raid the reported hide-out. He also ordered Inspector Gurdev Singh to join the raiding party, alongwith a section, from Ramtirath post. When the party was about 500 metres from the farm house, it was divided into two groups, namely, a cordon group and a raiding group. Shri Seetharam and Shri Gurdev Singh were in the raiding group. The cordon groups were ordered to secretly take position around the house. The raiding group covered the front side of the house. As the raiding party closed in, the element of surprise was lost because of the fierce barking of dogs. The terrorists probably got suspicious about movement of troops behind the farm house and in order to divert the attention of Police party, they forced the harbourer Gurbachan Singh to run towards the front direction by shouting 'Bachao' 'Bachao'. Shri Seetharam immediately pounced on him and pinned him down. Suddenly, the raiding group came under heavy firing by the terrorists. Shri Seetharam realised that in the absence of any cover, his party was exposed to fire from the terrorists. In utter disregard to his personal safety, he took a bold decision. He crawled to his left, quickly scaled the mud wall, and opened fire. The extremists were taken by surprise and ran towards the house while firing from their automatic weapons. Shri Seetharam engaged one of the terrorists with his sten carbine nad killed him on the spot. This enabled the raiding group to advance further and take position around the walls of the house.

In order to flush them out, Shri Seetharam, alongwith one member of his group, crawled towards the window and opened fire to force the terrorists to come out. In the process one of the terrorists was badly injured and rendered incapacitated. Inspector Gurdev Singh, who was on the right flank of the raiding group took a bold decision and amidst heavy firing, he dashed towards the right side wall of the house alongwith one Naik. After taking position behind the wall, both of them effectively engaged the terrorists and forced them to retreat to a room of the farm house. The third terrorist, who appeared to be a dare-devil, was intercepted by Inspector Gurdev Singh and the Naik and shot him dead, while he was making a bid to scale the wall in order to escape. The dead terrorists were later identified as Resham Singh alias D.C and Surender Singh Sodhi. Both were wanted in a large number of killings. Two other terrorists were arrested, who were later identified as Harbhajan Singh and Gurbachan Singh.

In this encounter, Shri A. C. Seetharam, Commandant and Shri Gurdev Singh, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th November, 1987.

No. 10-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Laxmi Narain,
Sub-Inspector No. D/1564,
(now Inspector of Police),
Delhi Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

There was information that a group of hard-core terrorists were planning to kill innocent persons and loot some banks in the Capital. It was also learnt that the terrorists had planned to enter Delhi in a Maruti Van with arms and ammunition. This Van was intercepted by a team of officers of the Operation Cell of Delhi Police at Singhu Border and the five persons who were travelling in the van were put to sustained interrogation. Out of them, one Karamjit Singh was found to be a hard-core terrorist, while the others were found to be novices. Karamjit Singh disclosed that his two accomplices had taken shelter at a tubewell in village Jagatpur District Jalandhar.

On the 5th October, 1988, a team of Operation Cell, comprising of three Inspectors, one Head Constable, one Constable/Driver and Shri Laxmi Narain, Sub-Inspector of Police, was despatched to Punjab. On reaching village Jagatpur, they learnt that the terrorists had left the place in the early morning to an unknow place. While searching the possible hide-outs of the terrorists, they reached the tubewell of one Maggar Singh in village Paddi Zagir at about 10.30 AM on that date. Four officers of the team covered the tubewell from all the four sides while Karamjit Singh was briefed and sent to engage other terrorists in a talk. Without being noticed, the team crept towards the tubewell. However, one of the terrorists got suspicious about the movements of Karamjit Singh and after looking around he started firing on the police officers, who had come close to the tubewell. The police party returned the fire resulting in injuries to the terrorist on his knee and head. Sub-Inspector Laxmi Narain picked up courage to catch the firing terrorist from behind and successfully nabbed him. Thereafter, crowd of sympathisers of the terrorists assembled on hearing the shots and one of the associates of the terrorists managed to escape. The arrested terrorist was later identified as Kewal Singh alias Billa. He was involved in a number of sensational cases.

In this encounter, Shri Laxmi Narain, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th October, 1988.

No. 11-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Ram Babu.
Constable No. 192.
District : Jahanabad,
Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 12th May, 1988, at about 8.10 a.m., on hearing sounds of firing of shots, fired by some criminals near Bus Depot, Shri Vijay Prakash, Dy. Development Commissioner, Jahanabad, rushed to his residence for mobilising the armed force available there. In the meantime, Shri Ram Babu, Constable, who was on deputation with the Dv. Development Commissioner, without waiting for the arrival of the force, ran in the direction of the Bus Depot. The Constable was armed with his service revolver. On reaching at the scene of occurrence, he saw some people running helter skelter in panic. He also saw some criminals fleeing. The Constable without losing time started chasing the fleeing criminals. At one time, finding the Constable face to face one of the criminals fired one shot from a country made pistol, aiming at the head of the Constable. The Constable ducked and the bullet passed over his head. At this time the Constable shouted at the criminal to surrender. The boldness of the Constable caused panic amongst the criminals. One of them threw his bag on the ground and surrendered. But the other criminal, who had fired the shot at the Constable, did not do so and tried to load his pistol. But before he could load his pistol, the Constable pounced upon him and disarmed him. In the meantime, the Deputy Development Commissioner, alongwith the armed force, arrived there and both the criminals were arrested. On search two country made pistols, 6 cartridges and papers concerning Extremists Organisation were seized from their possession. The extremists arrested were identified as Umesh Yadav and Chhote Prasad Yadav. It was also known that the extremists were fleewing after murdering one Kameshwar Mandal of Bairagi Baag on the same day.

In this incident, Shri Ram Babu, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 12th May, 1988.

No. 12-Pers/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned of officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the Officers

Shri Malkiat Ram,
Inspector No. 570060201,
26 Battalion,
Central Reserve Police Force

(Posthumous)

Shri A. K. Chakraborty,
Naik/Driver No. 680461271
26 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri S. S. Tangde,
Constable No. 760260183,
26 Battalion
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 18th August, 1987 a patrolling party of 26 Battalion, Central Reserve Police Force, consisting of 11 personnel under the command of Inspector Malkiat Ram with one jeep and one 3 Ton vehicle was detailed for mobile patrolling in the sensitive village of Dhariwal, Paragpur and Manikpura in District Amritsar. This area is considered a strong hold of the terrorist group known as Khalistan Liberation Force. The party left Company Headquarter at Kacha Pucca, District Amritsar around 1900 hours. Inspector Malkiat Ram and Constable S. S. Tangde were in the Jeep which was driven by Naik/Driver A. K. Chakraborty.

When the jeep followed by 3 Ton vehicle entered village Manikpura and was negotiating a sharp bend, it was ambushed by terrorists entrenched behind a mud wall adjoining the road on its left side. The terrorists, who were about ten in number, directed heavy fire at the jeep, hitting one head light and both the left side tyres.

As the terrorists opened fire, Driver A. K. Chakraborty in gallant effort immediately drove the vehicle out of the firing range of the extremist. While doing so, he received one fatal bullet injury and died at the steering wheel itself. But by that time, he had succeeded in taking the vehicle to a safe distance.

The police party jumped out of the jeep and immediately took positions and returned the fire. During the exchange of fire, Constable S. S. Tangde received bullet injuries on his shoulder. Inspite of the injuries he crawled to a vantage position under heavy fire and fired from his SLR at the extremists and kept them at bay from other members of the party. Constable Tangde displayed extra-ordinary courage and held his position till the firing stopped.

Inspector Malkiat Ram after getting down from the vehicle took position behind the nearby mud wall. The extremists kept on firing at the patrol party with the intention to kill the members of the party and take away their arms and ammunition. But their attempt was foiled

by the Shri Malkiat Ram, who kept them engaged by firing from his pistol. After exhausting the ammunition, he decided to move towards other members of the party with a view to reorganising and launching an attack on the terrorists. Unmindful of risk to his life, he crawled towards the other members of the party. In this process he received a bullet injury on his hip. Undeterred by the injuries, he directed heavy fire at the extremists and compelled the terrorists to retreat. The extremists escaped through the village lanes.

In this encounter, Shri Malkiat Ram, Inspector, Shri A. K. Chakraborty, Naik/Driver and Shri S. S. Tangde, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th August, 1987.

No. 13-Pers/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and rank of the officer

Shri Gurdial Singh,
Constable No. 3088/ASR (3124/TT),
Police Station Patti,
District : Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of 17th April, 1988, a Police Party led by Deputy Superintendent of Police, Patti, alongwith five Constables (including Constable Gurdial Singh), was patrolling the area of Police Station Valtoha in a Jeep. The S.H.O. Police Station Patti and one Head Constable and four Constables were in another jeep. At about 9.30 p.m. the Police Party was ambushed by the extremists near village Varnal. Constable Gurdial Singh, who was driving the jeep was hit by the bullets of the extremists and his legs were badly injured. Despite the injuries he continued to drive the jeep and brought the Police Party out of the range of firing of extremists. Immediately Deputy Superintendent of Police ordered the police personnel to return the fire. Due to effective firing by the Police Party, the extremists ran away taking the advantage of darkness, trees and topography of the area. In the meantime, Constable Gurdial Singh sent a message to Police Station Patti and Police Station Valtoha, through wireless, for reinforcement. The reinforcement arrived within 45 minutes from both the Police Stations.

In this incident, Shri Gurdial Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th April, 1988.

No. 14-Pers/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and rank of the officer

Shri Dilbagh Singh,
Sub-Inspector of Police, No. 118/GSP,
C.I.A. Staff,
Kapurthala,
Punjab.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On receipt of information about the possible hiding of some terrorists in the house of Sohan Singh of village Randhawa Masandan, Police Station Sadar, Jalandhar, a Police Party under the command of Inspector Bachan Singh, assisted by Sub-Inspector of Police Dilbagh Singh, was deputed to raid the house in the early hours 3rd November, 1988. The Police party was divided into two groups, one under the command of Inspector Bachan Singh and the other under the command of Sub-Inspector Dilbagh Singh. Sub-Inspector Dilbagh Singh took position on the roof-top of a house in front of the house of Sohan Singh where the terrorists were hiding. Inspector Bachan Singh challenged the terrorists to surrender but the terrorists started firing from inside the house. Shri Dilbagh Singh, Sub-Inspector, who was on the roof top, and facing the terrorists, returned the fire. The terrorists also fired at Shri Dilbagh Singh, as a result of which he received injuries on his right arm. Inspite of injuries, the Sub-Inspector continued firing with an SLR on the terrorists. The firing between the Police and the terrorists continued for about one and half hours. When the firing stopped, the police party entered the house and found that two persons were lying dead. The owner of the house identified them as Amarjit Singh alias Jeeta of Hoshiarpur and Bhagwan Singh alias Chacha of Amritsar who were involved in a number of heinous crimes. On examination it was found that the terrorist Bhagwant Singh committed suicide by consuming cyanide capsules while the other terrorist Amarjit Singh died due to bullet injuries. One .45 Mouser and 14 empties were recovered from the spot.

In this encounter, Shri Dilbagh Singh, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd November, 1988.

No. 15-Pers/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Hingole Kishan Gangaram, (Posthumous)
Constable No. 850770144,
29 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 24th July, 1988, information was received that some armed terrorists had collected in the farm-house of one Gurmukh Singh of Pakhopura, District Tarn Taran and were likely to indulge in some terrorist acts. A Central Reserve Police Force party under the command of Commandant, 29 Battalion (including Constable Hingole Kishan Gangaram) immediately rushed to villaged Pakhopura to nab the terrorists.

When the police party reached close to the farm house of Gurmukh Singh, the extremists started firing on the raiding party. The raiding party immediately returned the fire in self defence. Five Sikh youths carrying Rifles came out from the farm house and started running. The raiding party chased them and after running a distance of about 400—500 yards, the extremists took position behind a water channel. When the raiding party was about 200 yards away, the terrorists resorted to heavy fire. The Commandant along with his party took position and returned the fire. During the exchange of fire, Constable Gangaram, without caring for his personal safety, crawled about 40-50 yards through the flying bullets and reached a better firing position from where he fired 14 rounds from his SLR on the terrorists. Due to the effective firing one terrorist was killed on the spot, who was later identified as Satnam Singh alias Satta of Police Station Verowal. However, during the exchange of fire, one bullet had also hit Constable Gangaram, who was immediately evacuated to civil Hospital but he died on the way.

The remaining four terrorists started running towards village Gujarpura. The raiding party chased them for 5-6 Kms. upto village Gujarpura. During the chase, there was intermittent exchange of fire. All the four extremists jumped into the river near village Gujarpura, two of them were seen drowned in the deep water along with their weapons. Their dead bodies were later found on 15th August, 1988. Both were identified as Billa of village Lauka nd Amrajit

Singh alias Amba of village Mundapind. However, the remaining two extremists succeeded to swim across the river.

In this encounter Shri Hingole Kishan Gangaram, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th July, 1988.

RAJIV MEHRISHI
Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi the 15th December 1989

RESOLUTION

No. 55011/11/89-PRT.—In partial modification of this Department's Resolution No. 55027/1/77-CPC, dated the 21st February, 1977, constituting a Standing Body named "Joint Board on Mining Engineering Education and Training" under the Chairmanship of Joint Secretary, Department of Coal, Government of India, it has been decided to strengthen the memership of the said Joint Board on Mining Engineering Education and Training by increasing the membership of the representatives of the Degree and Diploma awarding institutions from 2 to 3 in each of these two categories and by extending the tenure of these representatives from 1 year to 2 years. Accordingly, Serial Numbers 6 to 9 and entries made against them in the list of members of the Joint Board on Mining Engineering Education & Training contained in the aforesaid Resolution, dated 21-2-77, shall be replaced by the following entries :—

"6. to 8 Three representatives of the Universities/Institutions running courses in Mining Engineering Education at Degree level (By rotation after two years)

9 to 11 Three representatives of the Institutions running courses in Mining Engineering Education at Diploma level." (By rotation after two years)

The serial numbers of the remaining entries shall be changed accordingly.

ORDER.—Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned including all the Ministries/Departments of the Government of India the Cabinet Secretariat etc., the C & A.G. of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

O. P. GULLA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990